



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

13 माघ, 1944 (श०)

संख्या - 61 राँची, गुरुवार,

2 फरवरी, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

12 जनवरी, 2023

संख्या-5/आरोप-1-5/2017-253 (HRMS)--श्री मनोज कुमार, झांप्र०से० (कोटि क्रमांक-847/03, गृह जिला- गिरिडीह), तत्कालीन उप परिवहन आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय प्राधिकार, राँची के विरुद्ध परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-513, दिनांक 22.03.2017 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया। प्रपत्र-'क' में श्री कुमार के विरुद्ध निम्नांकित आरोप गठित किये गये-

- सामान्यतः कार्यालय में उपस्थित नहीं रहने एवं परमिट आवेदनों को जानबूझकर लम्बित रखने एवं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने ।
- जाली परमिट निर्गत करने ।
- स्वेच्छाचारिता, कार्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-5161, दिनांक 06.04.2017 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्री कुमार के पत्रांक-551, दिनांक 01.07.2017 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा लगाये गये आरोप को गलत एवं मनगढ़ंत बताया गया।

श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-2899, दिनांक 03.05.2018 द्वारा परिवहन विभाग, झारखण्ड से मंतव्य की माँग की गयी। परिवहन विभाग के पत्रांक- 633, दिनांक 21.06.2019 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें प्रतिवेदित किया गया कि श्री कुमार द्वारा आरोपों के बचाव में कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया, अतः पूर्व में उल्लेखित विभागीय प्रतिवेदन के आधार पर अग्रतर कार्रवाई की जाय।

श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं इनके स्पष्टीकरण पर परिवहन विभाग से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-8825, दिनांक 04.11.2019 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है। विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-878, दिनांक 22.12.2020 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित एक भी आरोप को प्रमाणित नहीं किया गया।

विभागीय पत्रांक-427, दिनांक 21.01.2021 द्वारा विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन पर परिवहन विभाग से मंतव्य की माँग की गयी। उक्त के आलोक में परिवहन विभाग के पत्रांक-526, दिनांक 07.06.2021 द्वारा अपने मंतव्य में प्रतिवेदित किया गया कि श्री कुमार के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में गठित आरोपों एवं आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित बचाव बयान के संदर्भ में विभाग स्तर पर गठित कमिटी का अभिमत/मंतव्य विभागीय पत्रांक-1227, दिनांक 03.06.2020 तथा पत्रांक-101, दिनांक 10.02.2020 द्वारा संचालन पदाधिकारी को तथा परिवहन विभाग के पत्रांक-633, दिनांक 21.06.2019 के माध्यम से पूर्व में विभागीय कार्यवाही संचालन के क्रम में जाँच पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जा चुका है। अतः विषयगत मामले में विभाग द्वारा किसी प्रकार का मंतव्य दिया जाना शेष नहीं है। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आलोक में नियमानुसार कार्रवाई/निर्णय ली जा सकती है।

श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं परिवहन विभाग से प्राप्त मंतव्य प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों के संदर्भ में उनके द्वारा समर्पित बचाव बयान पर परिवहन विभाग से प्राप्त मंतव्य के आलोक में विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है एवं विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा सभी बिन्दुओं पर विचारोपरांत अपने मंतव्य/निष्कर्ष में श्री कुमार के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में गठित सभी आरोप को अप्रमाणित होना बताया गया है।

अतः समीक्षोपरांत, संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री मनोज कुमार, तत्कालीन उप परिवहन आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय प्राधिकार, राँची को आरोप मुक्त किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री मनोज कुमार, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	MANOJ KUMAR JHK/JAS/27	श्री मनोज कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-847/03, गृह जिला-गिरिडीह), तत्कालीन उप परिवहन आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय प्राधिकार, राँची को आरोप मुक्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601
